

**पूर्वोत्तर रेलवे**  
**इज्जतनगर मंडल**  
**हल्द्वानी स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम**  
**(बडी लाइन)**

सं० इज्जत नगर/54

जारी तिथि 27.3.2014

लागू तिथि 03.4.2014

पुनरीक्षण तिथि- Marc-2019

बी श्रेणी, इकहरी लाइन अर्न्तपाशित, मानक 1 पैनल संचालित  
(बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

**पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित**

- (सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 (1),(क),(ग),2 (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (II) देखें )
- टिप्पणी :-** 1-संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/54 दिनांक 16.4.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

**1. स्टेशन संचालन नियम आरेख**

सी०एस०टी०ई०/कान/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या मु०सि०दू०ई /निर्माण/99/(वाई डी)/48 संशोधन 'एस' एण्ड 'क्यू' पर आधारित इस स्टेशन का नियम आरेख सं० 500 दिनांक 8.5.2007 आट्रेशन 'ई' दिनांक 13.3.2014 संलग्न है जिसमें काटों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित काटों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

**2. स्टेशन का विवरण :**

2.1 **सामान्य स्थिति :-** हल्द्वानी स्टेशन रामपुर जं०-काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बडी लाइन पर 'बी' श्रेणी का स्टेशन है तथा रामपुर जं० से 87.72 किमी० तथा काठगोदाम से 06.44 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.2 **दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और वाहरी साइडिंगे**

काठगोदाम (पश्चिम दिशा में)  
लालकुआँ जं० (पूर्व दिशा में)

06.44 किमी० की दूरी पर स्थित है।  
16.09 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(रितेश गुप्ता )

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-**

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई० बी० एच०, आई० बी० एस० स्थित नहीं है।

**2.3 स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खंड :-**

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ "ब्लाक खंड" समाप्त होता है।
हल्द्वानी-काठगोदाम	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 हल्द्वानी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 1 काठगोदाम तक
हल्द्वानी-लालकुओं	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 11 हल्द्वानी	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 10 लालकुओं जं० तक

**2.4 ढलान यदि कोई हो :-**

- (i) कौटा संख्या 41 से काठगोदाम की ओर 70.96 में 1 का ऊर्ध्वगामी ढलान तथा स्टेशन यार्ड की ओर अधोगामी ढलान 260 में 1 का है।
- (ii) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 11 से लालकुओं की ओर 70 में 1 का अधोगामी ढलान है।

**2.5 अभिन्यास :-**

अभिन्यास 8 लाइनों का है। लाइन संख्या 1 से 3 परिचालित लाइने तथा 4 से 7 अपरिचालित लाइनें हैं। कौटा संख्या 47A-47B से जुड़ी लाइन संख्या 8 शंटिंग नेक है।

**2.5.1(क) परिचालित लाइनें तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई :-**

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर मे (सी०एस०एल०)	टिप्पणी
लाइन सं० 1	686 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन सं० 2	686 मीटर	प्लेटफार्म वाली मेन लाइन
लाइन सं० 3	715 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन

- (ख) परिचालित लाइन संख्या 2 यार्ड में आने वाली गाड़ियों के लिये सीधी लाइन है।
- (ग) डाउन दिशा से आने वाली गाड़ियों के लिये मेन लाइन सामान्यतया कैच साइडिंग के लिये सैट रहती है

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/54

हल्द्वानी

2.5.2 अपरिचालित लाइने, एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई :-

लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर मे (सी० एस० एल०)	टिप्पणी
लाइन सं० 4	मालगोदाम लाइन	345 मीटर	लाइन नं० 1 के प्लेटफार्म के साथ लालकुओं की ओर शंटिंग नेक से सीधे जुड़ी है
लाइन सं० 5	माल गोदाम लाइन	370 मीटर	माल गोदाम रेल लेवल प्लेटफार्म उपलब्ध है।
लाइन सं० 6	माल गोदाम लाइन	350 मीटर	माल गोदाम रेल लेवल प्लेटफार्म उपलब्ध है।
लाइन सं० 7	कैच साइडिंग	400 मीटर	.....
लाइन सं० 8	शंटिंग नेक	400 मीटर	स्टेब्लिंग की अनुमति नहीं है

2.5.3 अभिन्यास में कोई विशेष बातें :- मेन लाइन कॉटा सं० 41 से निकली यार्ड के अप छोर पर कैच साइडिंग प्रदत्त की गयी है। यह काटगोदाम की ओर से लुढ़के वैगनों / वाहनों से स्टेशन सेक्शन को सुरक्षित करती है। कैच साइडिंग की कार्य विधि के लिए परिशिष्ट ख का पैरा 15 देखें।

2.6 समपार फाटक :-

(i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति, एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :-

गेट सं०	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तर दायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
<b>परिचालन समपार फाटक</b>							
52	सी	डा० प्रस्थान तथा कॉटा सं० 44 के मध्य	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेट मैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
53	बी	अप अग्रित प्रस्थान सिगनल सं० 2 तथा कॉटा सं० 41 के मध्य	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेट मैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

इंजीनियरिंग समपार फाटक							
48A	सी	हल्द्वानी-लालकुओं के मध्य किमी० 74/14-15	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
49	ए	हल्द्वानी-लालकुओं के मध्य किमी० 77/5-6	सडक याता यात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
49A	सी	हल्द्वानी-लालकुओं के मध्य किमी० 78/6-7	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
50	बी-1	लालकुओं-हल्द्वानी के मध्य किमी० 79/5-6	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
51	ए	लालकुओं-हल्द्वानी के मध्य किमी० 80/10-11	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
54	ए	काठगोदाम-हल्द्वानी के मध्य किमी० 83/19-20 पर	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर से मैगनेटो टेलीफोन	नहीं

2.6.2- समपार फाटकों के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशष्ट 'क' से 'क-VII' तक देखें

(रितेश गुप्ता )  
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

3. संचालन की पद्धति एवं साधन :-

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों से इकहरी लाइन पर 'पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकन यन्त्र काठगोदाम तथा लालकुओं के साथ सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	..... .....

(सहायक नियम 14.01 (क), 14.02 से 14.06, 14.11, 14.12 एवं 14.13 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

**टिप्पणी:** कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही ब्लाक यंत्रों को संचालित करता है।

(सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम 14.03 एवं सा० तथा सहा० नियम 14.04 देखें)

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :-

हल्द्वानी स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-I बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है।

प्रदत्त सिगनल :-(क)(i) अप आगमन सिगनल (लालकुओं से) :-

अप डिस्टेन्ट सिगनल अप होम सिगनल सं० 10 की स्थिति पर निर्भर है।

अप होम सिगनल लाइन संख्या-1 के लिये (जंक्शन इंडिकेटर सहित)

अप होम सिगनल लाइन संख्या-2 के लिये (जंक्शन इंडिकेटर रहित)

अप होम सिगनल लाइन संख्या-3 के लिये (जंक्शन इंडिकेटर सहित)

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

(ii) **डाउन आगमन सिगनल (काठगोदाम से) :-**

डाउन डिस्टेन्ट सिगनल तथा इंजी० गेट संख्या 54/ए के लिये डिस्टेन्ट सिगनल (एक पीला फिक्सड)

डाउन होम सिगनल के आस्पैक्ट पर आधारित संकेत निम्न हैं :-

डाउन होम सिगनल लाइन संख्या-1 के लिये (जंक्शन इंडिकेटर सहित)

डाउन होम सिगनल लाइन संख्या-2 के लिये (जंक्शन इंडिकेटर रहित)

डाउन होम सिगनल लाइन संख्या-3 के लिये (जंक्शन इंडिकेटर सहित)

(ख) **प्रस्थान सिगनल**(i) **काठगोदाम की ओर प्रस्थान**

अप प्रस्थान सिगनल संख्या-6 लाइन संख्या-1 से

अप प्रस्थान सिगनल संख्या-4 लाइन संख्या-2 से

अप प्रस्थान सिगनल संख्या-8 लाइन संख्या-3 से

अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या-2 “नील्स ब्लॉक टोकन यन्त्र” की ट्रेन गोइंग टू’ स्थिति से नियंत्रित।

(ii) **लालकुओं की ओर प्रस्थान**

डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-7 लाइन संख्या-1 से

डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-5 लाइन संख्या-2 से

डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-9 लाइन संख्या-3 से

डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या-11/ गेट सिगनल गेट सं० 51/A “नील्स ब्लॉक टोकन यन्त्र” की ट्रेन गोइंग टू’ स्थिति से नियंत्रित।

(ग) **शंट सिगनल :**

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल सं० 40	शंटिंग नेक से यार्ड में आने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० 23	लाइन सं० 1 से शंटिंग नेक में जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० 21	लाइन सं० 2 से शंटिंग नेक में जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० 25	लाइन सं० 3 से शंटिंग नेक में जाने हेतु
अप शंट सिगनल सं० 35	नान-रनिंग लाइन सं० 5, 6, 7 से शंटिंग नेक में जाने हेतु

(घ) **स्टाप बोर्ड :-**

**अप स्टाप बोर्ड :-** शंटिंग नेक से यार्ड की ओर वापस आने वाले लोड के रोक हेतु कॉटा संख्या T-2 से पहले।

**डाउन स्टाप बोर्ड :-** गुड्स शेड लाइन संख्या 4 पर तथा लाइन संख्या 5 एवं 6 से शंटिंग नेक की ओर जाने वाले लोड के रोक हेतु कॉटा संख्या T-1 के बाद शंटिंग नेक की ओर।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**नोट :-** जब भी कोई शॉटिंग संचालन बिना सिगनल 'आफ' किये अथवा सिगनल विफलता के दौरान किया जाये तो मोटर कॉटों को पैनल से संचालित कर सम्मुख एवं अनुमुख दोनों ही स्थिति में क्लैम्प पैडलाक अवश्य किया जाये।

### **पुनरावर्तक (रिपीटर) :-**

तीनों डाउन प्रस्थान सिगनल गोलाई में होने के कारण इनके रिपीटर चालक की सुविधा के लिये प्रदत्त है। प्लेटफार्म शेड के नीचे लालकुआ छोर पर लाइन संख्या 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल के लिये प्लेटफार्म इंडिकेटर गार्ड की सुविधा हेतु प्रदत्त है।

- 4.1(क) सभी कॉटे एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियंत्रक पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कॉटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। कॉटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु ग्रुप बटन एवं सिगनल स्विच प्रदत्त है।
- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।
- (ग) दोनों ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पंक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जं० इंडिकेटर दिये गये हैं। जं० इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पंक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ लूप मार्ग (डाइवर्जिंग रूट) इंगित करेगी।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल टोकेन ब्लाक यंत्र की 'ट्रेन गोइंग टू' दशा से नियंत्रित है।
- (ङ) स्टेशन मास्टर काटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर की नियंत्रण चाबी जो पैनल को लाक करती है, के द्वारा पैनल पर नियंत्रण रखता है। जब यह लाक स्थिति में होता है तो यह विद्युतीय रूप से काटों एवं सिगनलों पर नियंत्रण विच्छेदित कर देता है। जब तक यह चाबी लगाकर घुमायी न जाये, कॉटों एवं संकेतकों का प्रचालन ग्रुप बटन के दबाने एवं सिगनल स्विच के घुमाये जाने पर कोई परिणाम नहीं देगा।
- (च) स्टेशन मास्टर 'आफ' किये गये सिगनल को 'आन' करने के बाद रूट निरस्तीकरण के लिये ग्रुप बटन के साथ सिगनल स्विच को दबाने एवं घुमाने पर निर्धारित समयान्तरल के बाद रूट निरस्तीकरण हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।
- (छ) संबंधित परिचालित लाइन के प्रस्थान सिगनल का 'पीला' संकेत दोनों दिशा में शॉटिंग संचालन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु अग्रिम प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विच को आन स्थिति में रखते हुये संबंधित कॉटों तथा प्रस्थान सिगनल थम्ब स्विचों को परिचालित किया जाना चाहिये।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

#### 4.1.1 स्टेशन मास्टर पैनल :

स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे थम्ब स्विचों द्वारा मोटर कांटों एवं सिगनलों आदि का संचालन तथा गेटों का नियंत्रण किया जाता है। जिनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है पैनल से सिगनलों आदि के संचालन हेतु थम्ब स्विच के साथ पुश बटन दबाना आवश्यक है। स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' में उल्लेखित अनुदेशों को देखें।

#### 4.1.1.2 स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी :

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कांटो एवं सिगनलो आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाभी लगी रहती है जब तक चाभी पैनल से निकली रहेगी उस समय तक कांटों सिगनलों आदि के संचालन का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। चाभी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे थम्ब स्विचों द्वारा कांटो, सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी चाहे पैनल से बाहर निकली हो, या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कांटों सिगनलों के आस्पेक्ट आदि का इंडीकेशन अंतिम संचालित स्थिति में अनवरत् प्रकाशित रहेगा।

#### 4.1.1.3 ग्रुप बटन :

दो ग्रुप बटन यार्ड के अप एवं डाउन छोरों के लिये नामित है। सिगनल स्विचों को वॉछित स्थिति में घुमाने के बाद इन ग्रुप बटनों को दबाया जायेगा। सिगनलों का प्रचालन तभी संभव हो पायेगा जब संबंधित ग्रुप बटन दबाये जायेंगे। यार्ड के डाउन छोर में गाडियों के संचालन के लिये सिगनलों के प्रचालन हेतु पैनल के डाउन छोर पर स्थित 'डाउन ग्रुप बटन' को दबाना होगा। इसी प्रकार, अप दिशा में गाडियों के संचालन हेतु सिगनलों के प्रचालन हेतु, पैनल के अप छोर पर स्थित 'अप ग्रुप बटन' को दबाना होगा। सैट किये हुये मार्ग के निरस्तीकरण हेतु सिगनल थम्ब स्विचों को नार्मल स्थिति में वापस कर देना चाहिये और संबंधित ग्रुप स्टार्ट बटन को दबाना चाहिये। निरस्तीकरण हो जाने पर कौंटा थम्ब स्विच की लॉक लाइट एवं रूट पर जलती हुयी बत्तिया बुझ जायेंगी तत्पश्चात् मार्ग बदला जा सकता है।

#### 4.1.1.4 सिगनल स्विच:

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिए अलग-अलग स्विच का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। जिस सिगनल को 'आफ' करना है उस सिगनल का स्विच घुमाने एवं ग्रुप बटन दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर



**4.1.1.5 कांटा स्विच :**

पैनल के निचले हिस्से में दोनों सिरों पर कांटों को संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए अलग अलग स्विच दिया गया है। यह दो स्थिति वाले स्विच है। कांटों को नार्मल स्थिति में प्रचालित करने के लिए संबंधित थम्ब स्विच को 'एन' स्थिति में तथा विपरीत स्थिति में सेट करने के लिये स्विच को 'आर' स्थिति में करने पर कांटा नार्मल या रिवर्स हो जायेगा। थम्ब स्विच की 'एन' स्थिति में ऊपर प्रदत्त छोटा सफेद प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कांटे नार्मल स्थिति में सेट एवं लॉकड है। थम्ब स्विच की 'आर' स्थिति में ऊपर प्रदत्त छोटा हरा प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कांटे रिवर्स स्थिति में सेट एवं लॉकड है। कांटा स्विच के केन्द्र में प्रदत्त एक लाल प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि कांटे विद्युतीय रूप से लाक हो गये है और प्रचालित नहीं किये जा सकते है। जब यह लाल प्रकाश जल रहा हो तब संबंधित कांटा स्विच को नहीं घुमाना चाहिये।

**4.1.1.6 क्रैन्क हैण्डल नियंत्रण थम्ब स्विच :**

यह थम्ब स्विच दो स्थिति वाली है अर्थात् सामान्य "लॉक" तथा विपरीत "रिलीज़" स्थिति। इस थम्ब स्विच का प्रयोग हैण्डलों पर विद्युत लॉक को मुक्त करने के लिये होती है। स्विच के लाकड स्थिति में एक छोटा "सफेद" प्रकाश प्रदत्त है जो हमेशा प्रकाशित रहता है। क्रैन्क हैण्डलों पर विद्युत लाक को रिलीज़ करने के लिये इस स्विच को रिलीज़ स्थिति में घुमाना चाहिये। यदि परिस्थितियों क्रैन्क हैण्डल को फ्री करने की अनुमति दे तो छोटा सफेद प्रकाश बुझ जायेगा और स्विच की रिवर्स स्थिति में ऊपर एक छोटा लाल प्रकाश दिखायी देगा। इस स्थिति में क्रैन्क हैण्डल को एसेम्बली से निकाला जा सकता है। प्रयोग के बाद एसेम्बली में क्रैन्क हैण्डल को लगा देने के बाद क्रैन्क हैण्डल को विद्युतीय ढंग से लाक करने के लिये नियंत्रण थम्ब स्विच को नार्मल (लाक) स्थिति की ओर घुमाये। छोटी सफेद प्रकाश स्विच के ऊपर ये संकेत करने के लिये प्रकाशित हो जायेगा कि क्रैन्क हैण्डल विद्युतीय ढंग से लाक हो गया है।

जब क्रैन्क हैण्डल लीवर लाक से बाहर होता है तो सभी सिगनल "आन" संकेत देते है और तब तक "आन" रहते है जब तक कि क्रैन्क हैण्डल विद्युत लीवर लाक में लगा दिया न जाये। हर बार जब क्रैन्क हैण्डल बाहर होगा तो वीडर काउन्टर से एक उच्चतम संख्या दर्ज होगी। इसकी रीडिंग क्रैन्क हैण्डल रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिये। (क्रैन्क हैण्डल द्वारा विद्युत कांटा मशीनों को चलाने के लिये पैरा 13 देखें।)

**4.1.1.7 आपात कालीन क्रैन्क हैण्डल :-**

परिचालित लाइनों पर प्रदत्त कांटा संख्या 41, 42, 43, 44, 45, 47A एवं 47B मोटर चालित कांटे है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध विद्युत लीवर लाक में शील्ड ग्लास केस में आपातकालीन क्रैन्क हैण्डल प्रदान किये गये है। इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

क्रम सं०	क्रेन्क हैण्डिल	प्रचालित कौटा संख्या
1	जेड-1	42 एवं 43
2	जेड-2	44, 45, 47A एवं 47B
3	जेड-3	41

इन कौटों का कार्यरत कौटेवाला द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में बनाया जायेगा तथा क्लैम्प करके ताला लगाया जायेगा। (सहायक नियम 3.69(i)(ii)(iii) देखें) क्रेन्क हैण्डिल के प्रचालन की विधि सिगनलिंग परिशिष्ट के अनुलग्नक-I में दी गयी है।

जब कभी क्रेन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा, उसकी प्रविष्टि नीचे दिये गये क्रेन्क हैण्डिल रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में की जायेगी :-

क्रम सं०	क्रेन्क हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेन्क हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेन्क हैण्डिल निकालने का उद्देश्य विफलता / परीक्षण	क्रेन्क हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेन्क हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### 4.1.1.8 समपार फाटकों के लिये थम्ब स्विच :-

समपार फाटकों पर स्टेशन मास्टर नियंत्रण के लिये समपार फाटक सं० 52/सी तथा 53/बी के लिये अलग-अलग स्विच स्टेशन मास्टर के पैनल पर दिया गया है। थम्ब स्विच को रिलीज स्थिति के ऊपर एक छोटा लाल प्रकाश तथा लाक स्थिति के ऊपर एक सफेद प्रकाश दिया है। समपार फाटकों पर गाडियों के संचालन के लिये सम्बन्धित थम्ब स्विच को फाटक बन्द करने के लिये आदेश देने के बाद लाक स्थिति में कर देते हैं और जब संबंधित चाभी गेट में लगे विद्युत लीवर लाक में लगे 'ई' प्रकार के ताले में लगाकर घुमायी जाती है तो थम्ब स्विच की लाक स्थिति के ऊपर एक छोटा सफेद प्रकाश जल जाता है जिससे यह मालूम होता है कि गेट बन्द तथा लाक है एवं लाल प्रकाश बुझ जाता है।

#### 4.1.1.9 साइडिंग कौटों के लिये थम्ब स्विच :-

साइडिंग कौटों हेतु पैनल पर कोई थम्ब स्विच प्रदत्त नहीं है।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**4.1.1.10 आपातकालीन मार्ग निरस्तीकरण :-**

जब सिगनल को 'आफ' कर दिया गया हो और यदि आपात काल में वॉछित मार्ग का रद करना है तो संबंधित सिगनल थम्ब स्विच को नार्मल स्थिति में घुमाया जायेगा और संबंधित ग्रुप बटन को दबाने पर आपात निरस्तीकरण काउन्टर के पास एक छोटा सफेद प्रकाश प्रकाशित होगा। इस प्रकार का निरस्तीकरण होने पर वीडर काउन्टर हर बार एक उच्च संख्या को दर्ज करेगा। 120 सेकेंड के बाद लाक लाइट बुझ जायेगी और पैनल पर दिखायी देने वाला संबंधित मार्ग भी दिखायी देना बन्द हो जायेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के चार्ज का आदान प्रदान करते समय वीडर काउन्टर की रीडिंग टी०एस०आर० एवं वीडर काउन्टर पंजिका में अवश्य दर्ज की जाये।

**4.1.2 रेल पथ परिपथ :-**

परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 तक रेल पथ परिपथ युक्त है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर संबंधित लाइन के रेल पथ परिपथ भाग को अतिरिक्त मोटी रंगीन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब रेल पथ परिपथ भाग आक्यूपाइड/विफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सुक्ष्म लाल प्रकाश प्रकाशित होगा। इन रेल पथ परिपथों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है रेल पथ परिपथ की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा रेलपथ परिपथ बाधा रहित होने का सुनिश्चित भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।

**4.1.3 थम्ब स्विच स्टाप प्लग :-**

स्टेशन पैनल प्लग भण्डारण सील में थम्ब स्विच स्टाप प्लग दिये गये है। जब कभी, सिगनल और कौटा थम्ब स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचालन को रोकना हो, इन प्लगों को पैनल पर दिये गये थम्ब स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में दबाकर लगा देना चाहिये। ये प्लग लगा दिये जाने पर स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक का कार्य करेंगे कि थम्ब स्विच, प्लग द्वारा बाधित दिशा में नहीं घुमाना चाहिये।

**4.1.4 स्थाई रूप से तालाबन्द कौटे/प्रथककरण (आइसोलेशन) :-**

यहाँ स्थायी रूप से ताला बन्द कौटे नहीं है।

**4.2 रिले रूम की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने / देने की कार्य पद्धति :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटर लाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एव एस० एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसे खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के बाद ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी उसे सौपनी चाहिये।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः एक चै का प्रावधान है। जिसकी बैट्री ब्बउउमतबपंस स्पहीजध्जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में चै विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा।  
(विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)

**यार्ड में प्रदत्त कौटा इंडिकेटर/ट्रैप इंडिकेशन का विवरण :-** यार्ड में कोई कौटा इंडिकेटर नहीं है।

**4.4 वीडर काउन्टर:-**

स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्टेशन पैनल पर तीन वीडर काउन्टर प्रदत्त है।

1. आपात कालीन रूट कैंसिलेशन वीडर काउन्टर
2. कामन वीडर काउन्टर क्रैन्क हैण्डिल के लिये जेड-1 एवं जेड-2
3. वीडर काउन्टर क्रैन्क हैण्डिल के लिये जेड-3

हर बार जब क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जाय तब वह संख्या जो वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को निर्धारित प्रारूप के सम्बन्धित कालम में प्रविष्टि कर लिया जाये। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा चार्ज का आदान-प्रदान करते समय टी०एस०आर० में आपात कालीन मार्ग निरस्तीकरण वीडर काउन्टर की रीडिंग को रिकार्ड कर लिया जाये।

**5. दूर संचार:-**

- (i) इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन
- (ii) काठगोदाम स्टेशन के टोकन यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (iii) लालकुआँ स्टेशन के टोकन यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (iv) इंजी० गेट सं० 48A/सी (हल्द्वानी-लालकुआँ ) के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (v) इंजी० गेट सं० 49/ए (हल्द्वानी-लालकुआँ ) के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (vi) इंजी० गेट सं० 49A/सी (हल्द्वानी-लालकुआँ ) के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (vii) इंजी० गेट सं० 50/बी-1 (हल्द्वानी-लालकुआँ ) के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (viii) इंजी० गेट सं० 51/ए (हल्द्वानी-लालकुआँ ) के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (ix) इंजी० गेट सं० 54/ए (हल्द्वानी-काठगोदाम ) के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (x) ट्रैफिक गेट सं० 52/सी के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (xi) ट्रैफिक गेट सं० 53/बी के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (xii) बी० एस० एन० एल० फोन
- (xiii) वी० एच० एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाडी संचालन कार्यप्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 10A देखें)

(रितेश गुप्ता )

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**6. गाडी संचालन की प्रणाली**

गाडियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03 (2), 8.10, 8.12, 8.13 एवं 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

**(क) गाडियों का आगमन**

जिस गाडी का लाइन क्लीयर दिया जा चुका है, उस गाडी के आगमन के लिये डि्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को चाहिये कि:-

- (i) पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल रिलीज लाक में लगा कर घुमाये ताकि पैनल संचालन में आ जाये।
- (ii) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जिन ट्रैक सर्किटों पर आने वाली गाडी को गुजरना है, उन ट्रैक सर्किटों पर आक्यूपैन्सी दर्शाने वाली लाल बत्तियों तो नहीं जल रही है।
- (iii) जिस लाइन पर गाडी को रिसीव किया जाना है, उस लाइन को परिशिष्ट 'ख' में दिये गये कौटा एवं सिगनलों की संचालन तालिका के अनुसार सम्बन्धित कौटा स्विचों को वॉछित स्थिति में परिचालित करें।
- (iv) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जो कौटा थम्ब स्विच नार्मल स्थिति में है, उनके ऊपर सूक्ष्म सफेद बत्ती तथा जो स्विच रिवर्स स्थिति में है उनके ऊपर सूक्ष्म हरी बत्ती जल गयी है। यह सफेद तथा हरी बत्तियों कौटों के नार्मल एवं रिवर्स स्थिति में सेट एवं लाक होने का सूचक है। अप गाडी के मामले में ट्रैफिक गेट 52/सी तथा डाउन गाडी के मामले में ट्रैफिक गेट 53/बी एवं 52/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करे एवं गेट बन्द होने का इन्डिकेशन प्राप्त होने पर गेट कन्ट्रोल स्विच को लाकड स्थिति में धुमाए।
- (v) सिगनैलिंग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार वॉछित सिगनल स्विच को घुमायें तथा सम्बन्धित गुप बटन दबाये। स्टेशन पैनल पर देख लें कि संबंधित थम्ब स्विचों के मध्य लाल इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा जो संबंधित कौटों के विद्युतीय रूप से लाक होने का सूचक है। इससे संबंधित आगमन सिगनलों का 'आफ' आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आ जायेगा।
- (vi) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाडी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो गये है।
- (vii) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाडी जैसे ही ट्रैक सर्किटों पर आती है, टैक सर्किट की सफेद बत्तियों बुझ जाती है तथा लाल बत्तियों जल जाती है और जैसे-जैसे गाडी ट्रैक सर्किट को पार करती है, लाल बत्तियों बुझ जाती है और सफेद बत्तियों जल जाती है।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

- (viii) यह सुनिश्चित करने के बाद कि आने वाली गाडी ने कौंटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया है, गेट कन्ट्रोल स्विचों को रिलीज स्थिति में धुमाए तथा कौंटे एवं सिगनल थम्ब स्विचों को नामर्ल स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकालकर व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखें।

**टिप्पणी :-**

- (i) अप गाडियों को अनावश्यक रूप से होम सिगनल के बाहर नहीं रोका जायेगा। अप होम सिगनल की विफलता के मामले में परिस्थिति को देखते हुए जहाँ तक सम्भव हो टी-369(i) जारी करने के लिये लालकुआ में कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाये।
- (ii) डाउन गाडियों के मामले में यह सुनिश्चित करे कि डाउन होम सिगनल के पहले स्थित ट्रैक सर्किट A-3T पर आकर गाड़ी रूक गयी है। चाबी 'वाई' जो टोकेन यन्त्र काठगोदाम छोर पर लगी रहती है, को निकालकर विद्युत लीवर लाक असेम्बली में लगे 'ई' प्रकार के ताले में लगाकर घुमाये। ऐसा करने से 120 सेकेण्ड बाद स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक घन्टी बजने लगेगी जो इंगित करेगी कि कौंटा सं 41 रिवर्स स्थिति में सेट करने के लिये मुक्त है। तब पैनल द्वारा कौंटा सं० 41 को रिवर्स स्थिति में सेट करें तथा रूट पर स्थित अन्य सम्बन्धित कौंटे सिगनैलिंग परिशिष्ट 'ख' में दी गयी तालिक के अनुसार वॉछित स्थिति में सेट करें।
- (iii) डाउन गाड़ी के कौंटा संख्या 41 पर स्थित ट्रैक सर्किट 41-T पर से गुजर कर साफ करने पर एक बजर स्टेशन मास्टर कार्यालय में बजने लगेगी जो कौंटा संख्या 41 को नामर्ल स्थिति में सैट करने के लिये इंगित करेगा। कौंटा संख्या 41 नामर्ल स्थिति में सैट होने के बाद बजर बजना बन्द हो जायेगा। ब्लाक लाइन के विरुद्ध बन्द करने के लिये साधारण नियम 5.19(10(क) देखें।

**6.1 गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्त्व्य :-**

गाडी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, फाटकवाला एवं कौंटावाला के कर्त्व्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

**6.1.1 प्रत्येक पारी में गाडी संचालन कर्मचारी**

**दिन की पाली**

स्टेशन मास्टर	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौंटावाला	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

**रात्रि पाली/सौंध्य पाली**

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौंटावाला	-	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(रितेश गुप्ता )

(जे०ए०आज़मी)

**6.1.1 लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :-**  
कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये पैनल पर प्रदर्शित ट्रैक सर्किट इंडिकेशन को देखकर परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा इंडिकेशन बल्ब फ्यूज़ हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से लाइनों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेगा कि लाइन साफ एवं बाधा रहित है तथा कॉटों को सैट एवं क्लैम्प कर ताला बन्द किया जायेगा। (सामान्य नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

**6.1.2 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :-**

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हों अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचालन से अलग रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे। विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखें।

**6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :-**

कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :-

- (क) सम्पूर्ण आन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
  - (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
  - (ग) वॉछित लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
  - (घ) अप गाड़ी के लिये गेट संख्या 48A/सी, 49/ए, 49A/सी, 50/बी-1, 51/ए, तथा डाउन गाड़ी के लिये गेट संख्या 54/ए पर कार्यरत गेट मैनों को सम्बंधित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।
- (सामान्य एवं सहायक नियम 8.03 (2) (क) (ख) (ग) (II) तथा सहायक नियम 8.03 (i) से (iv) देखें )

**6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-**

**6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध कार्टों को अन्य लाइन के लिये सैट करना -**

जब स्टेशन पर कोई रनिंग लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रसिंग/प्रीसीडेन्स के कारण अवरूद्ध हो, तो दोनों छारों के कॉटे अवरूद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जाये।

(सामान्य एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii)(2)(5)(i) को देखें)

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**6.2.1.2 अवरूद्ध लाइन पर गाडी का आगमन -**

जब स्टेशन पर किसी अवरूद्ध लाइन पर गाडी को प्राप्त करना हो तो सामान्य नियम 5.09(1)(a) (b) (c), (2) (c), (3) (a) (b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1)(a)(b)(c) के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करे।

**6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का आगमन -** यहाँ बिना सिगनल वाली लाइनो पर किसी भी ओर से आगमन की व्यवस्था नहीं है।**6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाडी का प्रस्थान -** यहाँ बिना सिगनल वाली लाइनो से किसी भी ओर के लिए प्रस्थान की व्यवस्था नहीं है।**6.2.1.5 कामन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाडी प्रस्थान करना -**

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

**6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुये अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना -** कोई नहीं।**6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्तें :-**

- (क) अप गाड़ी के लिये अप होम सिगनल तभी आफ किया जायेगा जबकि,
- (i) जिस लाइन पर गाडी ली जानी है, वह अप प्रस्थान सिगनल के आगे अनुमुख कौटा संख्या 42 तक साफ एवं बाधा रहित हो तथा इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ii) गेट संख्या 52/सी को बन्द कर दिया गया हो तथा स्टेशन पैनल पर गेट बन्द होने का इन्डिकेशन उपलब्ध हो एवं गेट कन्ट्रोल स्विच को लाक स्थिति में धुमा दिया गया हो।
- (ख) डाउन गाड़ी के लिये डाउन होम सिगनल तभी आफ किया जायेगा जबकि,
- (i) डाउन गाड़ी होम सिगनल पर रूक गयी हो तथा टैक सर्किट A-3 T पर आक्यूपाई कर लिया हो।
- (ii) जिस लाइन पर गाडी ली जानी है, वह डाउन प्रस्थान सिगनल से आगे अनुमुख कौटों तक साफ हो।
- (iii) गेट संख्या 52/सी तथा 53/बी को बन्द कर दिया गया हो तथा स्टेशन पैनल पर उनके बन्द होने का संकेत मिलने के बाद गेट कन्ट्रोल स्विच को लाक स्थिति में घुमा दिया गया हो।
- (साधारण एवं सहायक नियम 3.40(1)(ख),(3)(ख) तथा सहा०नि०3.40(i) अनुलग्नक- V देखें)

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर



### 6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व

किसी गाड़ी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

### 6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की क्लासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना:-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।  
(सहायक नियम 5.01 (14) देखें)

### 6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

रुकने वाली अप गाड़ियों के सम्बन्ध में गेट संख्या 52/सी कार्यरत गेटमैन का यह कर्तव्य होगा कि वह गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर को बतायेगा एवं गेटमैन व स्टेशन मास्टर अपनी-अपनी लाग बुक में प्रविष्टि करें। रुकने वाली डाउन गाड़ियो तथा यदि कोई गाड़ी बिना टेललैम्प/टेलबोर्ड के अपूर्ण आती है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर इस उद्देश्य हेतु ट्रेन इनटेक्ट पंजिका टी/1410 पर गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है। (साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

### 6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- जाँचें कि आक्वूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्वूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये और ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- सुनिश्चित करें कि अप के गाड़ी प्रस्थान के लिये गेट संख्या 53/बी, तथा 54/ए और डाउन गाड़ी के प्रस्थान के लिये गेट संख्या 48A/सी, 49/ए, 49A/सी, 50/बी-1, 51/ए एवं 52/सी, पर कार्यरत गेटमैन को, सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेश के अनुसार सूचित कर दिया गया है। गेट संख्या 52/सी एवं 53/बी के बन्द होने का इंडिकेशन प्रकाशित हो जाने पर उनके कन्ट्रोल स्विच को घुमाकर लाक स्थिति में कर दिया गया है।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

- (v) अप गाड़ी के प्रस्थान के लिये काठगोदाम छोर पर लगे ब्लाक यन्त्र से चाबी 'जेड' टी०जी०टी० स्थिति होने पर निकाल कर इलेक्ट्रिक लीवर लाक कम ट्रैक सर्किट एसेम्बली में प्रदत्त 'ई' प्रकार के ताले में लगाकर घुमाएं तथा कौटा संख्या 41 को गाड़ी के प्रस्थान हेतु पैनल से रिवर्स स्थिति में सैट करें।
- (vi) गाड़ी के मार्ग में पड़ने वाले कांटों को परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सेट करें। सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल को आफ करें। इससे पैनल पर प्रस्थान सिगनल का **आफ आस्पेक्ट** आ जायेगा।
- (vii) जाने वाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल स्विच घुमाएं तथा ग्रुप बटन को दबायें।
- (vi) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है तथा कौटा स्विच के मध्य लाल प्रकाश प्रकाशित हो गया है, जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (vii) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।
- (viii) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ix) रेल पथ परिपथ की विफलता अथवा रेल पथ परिपथ बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

#### 6.6.1 सतर्कता आदेश (T-409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखें।)

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**6.7 गाड़ियों का बिना रूके सीधे जाना (रन थ्रू):-**

इस स्टेशन पर गाड़ियों के बिना रूके जानें की अनुमति नहीं है।

**6.8 कॉटों एवं सिगनलों की विफलता के दौरान कार्य पद्धति :-**

कॉटों एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, सामान्य एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करे।

स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल क्लर लाइट होने के कारण दिन एवं रात में अनवरत जलाये जायेंगे। इसका सुनिश्चय स्टेशन मास्टर द्वारा किया जायेगा। यदि लाइन क्लियर देते समय सिगनलों का प्रकाशित होना सम्भव न हो सके तो कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लियर देने से पूर्व साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 में उल्लिखित कार्य विधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ब्लाक यंत्र विफल हो जाने पर सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7(I)(II) तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

**6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली :-**

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञापत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लियर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। (सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।)

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**7. लाइन अवरुद्ध होना :-**

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

**7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-**

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। **वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।**

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

- (ii) नये प्रकार के बोगी रैकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खडा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्कोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्कोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

### टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

## 8. शंटिंग

### 8.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग:

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक शंटिंग :- शंटिंग की अनुमति नहीं है।
- (ख) प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग:- शंटिंग की अनुमति नहीं है।

### 8.2 आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग :- शंटिंग की अनुमति नहीं है।

### 8.3 जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग शंटिंग की अनुमति नहीं है।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**8.4.1 शंटिंग पर प्रतिबन्ध**

1. नान-आइसोलेटेड लाइन पर आने वाली गाड़ियों के लिये सिगनल 'आफ' हो जाने के बाद गाड़ी जिन कॉटों को पास करेगी उन पर शंटिंग की अनुमति नहीं है।
2. स्टेशन यार्ड में शंटिंग करते समय शंटिंग प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त संख्या में ब्रेक लगा दिये गये हैं एवं जहाँ आवश्यक है, वहाँ स्प्रेग लगा दिये गये हैं और वाहनों को अनियन्त्रित होने से रोकने के लिये पूरी सावधानी बरतेगा। ढलान के नीचे की ओर ही इंजन लगाया जायेगा।
3. यार्ड के उस छोर जिधर नीचे का ढलान है, हैण्ड शंटिंग नहीं की जायेगी।

**8.4.2 शंटिंग का कोई विशेष पहलू -**

शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-

1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
2. सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात वैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii) )

**8.5 स्टेशन यार्ड / मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग का कोई विशेष :-** माल गोदाम में शंटिंग लालकुओं छोर पर प्रदत्त शंटिंग नेक से ही की जायेगी।

**8.6 बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि :-** कुछ नहीं।

**9. असामान्य परिस्थितियों**

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया:**

(I) ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल फोन अथवा बी०एच०एफ० सेट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

(सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 से 14.25 तथा सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट 'घ' देखे)

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

- (II) ब्लाक यन्त्र टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा वी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।
- 2(क) नियंत्रक कि माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा वी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहां से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।
- 2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-
- वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मांगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगा।
  - लाइन क्लीयर तभी लिया दिये जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
  - जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/द देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
  - वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2(ग) लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में यह किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा। (सामान्य एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखे)
3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड कांटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त कांटों के उपयुक्त संचालन की जॉच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कांटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कांटों पर अगले संचालन की अनुमति देगा। ऐसे परिदृश्यों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

(रितेश गुप्ता )

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

(ख) क्रैन्क हैण्डिल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि :-

संचालन नियम के पैरा 4.1.1.6 तथा परिशिष्ट 'ख' के अनुलग्नक -I के अनुसार कार्य किया जायेगा।

(ग) कॉटों, ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खाराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :-

संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 12 देखे।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता ---.9.2 संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे :-

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन एवं बी०एस०एन०एल० फोन।
- (ङ.) नियंत्रण दूरभाष,
- (च) वी०एच०एफ० सेट।

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना

चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाडी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

**टिप्पणी :-** संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर



3. संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी-

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :-	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369,(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

<p>2.</p>	<p>यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।</p>	<p>2- इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाड़ियों के लिये सशर्त लाइन क्लीयर संदेश प्राधिकार TF-602 अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिये लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अन्तिम रोक सिगनल को पार करने के लिये टी 369(3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेगे।</p>
-----------	---	---

**टिप्पणी:-**

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाडी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाडी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी० प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी० प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

**4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों:-**

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाडी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाडिया संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

- 9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति - कुछ नहीं।
- 9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाडी के सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान।

अवरोध की राही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत ईजन/गाडी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौपेगा। ( सहायक नियम 6.02, 6.08(i)(ii)(iii), 6.09 (ii)(iii) (1)(2)(3) देखे)

- 9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश-

व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति विफल होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जाय :-

1. मुख्य पावर विफल होने पर सिगनल को जलाने हेतु दिये गये अनुदेश
2. मुख्य पावर सप्लाई विफल होने पर सिगनल को जलाने हेतु दो डी०जी०सैंटों का प्रविधान किया गया है। यह जनरेटर कक्ष में लगे है। दोनों जनरेटरों के लिये अलग-अलग नियंत्रण पैनल लगे है। मुख्य पावर विफल होने पर दोनों में से जिस जनरेटर को चलाना होगा उसका संचालन उसी जनरेटर के नियंत्रण पैनल के ही आन स्विच को दबा दिया जायेगा और स्टार्ट होते ही छोड़ दिया जायेगा। तत्पश्चात् जनरेटर कक्ष में लगे इस जनरेटर को संचालित किया जायेगा। चेन्ज ओवर स्विच को उसी जनरेटर वाले दिशा में कर दिया जायेगा। सिगनल जलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को पैनल पर लाल छोटे बल्ब के द्वारा संकेत मिलता रहेगा।
3. अगर मुख्य पावर सप्लाई अधिक समय के लिये चला गया है तो एक जनरेटर को दो घंटे से अधिक नहीं चलाया जायेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर एक पंजिका रखेगा। जिसमें नित्य जनरेटर संचालन के समय का व्यास लिखा जायेगा तथा चलाने वाले कर्मचारी का उस पर हस्ताक्षर भी होगा। इसका प्रेफार्मा निम्न प्रकार होगा :-

क्रम सं०	दिनांक	कार्मशियल पावर विफलता का समय घंटा एवं मिनट में			डी०जी०सैंट चलने का समय घंटा एवं मिनट में			हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर
		जाने का समय	आने का समय	कुल योग नहीं रहने का	चालू करने का समय	बंद करने का समय	चलने का समय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर बैटरी चार्जिंग के लिये जब भी आवश्यकता हो संकेत अनुरक्षक के सुझाव के अनुसार जनरेटर संचालित करवायेगा।
6. जनरेटर में किसी प्रकार की विफलता के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर परिशिष्ट "ख" पैरा 14 में दिये गये अधिकारी को सूचित करेगा।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर किसी गाडी के आगमन के लिये लाइन क्लीयर देने या आगमन अनुमति प्रदान करने से पूर्व सुनिश्चित करेगा कि कार्मशियल पावर सप्लाई/सटैण्डबाई डी०जी०सेट सप्लाई उपलब्ध है तथा सिगनल की रोशनी प्रकाशित है जैसा कि पैनल पर दिये गये संकेत से मालूम होता है।
8. यदि अनियमितता के कारणवश स्टैण्डबाई डी.जी.पावर सप्लाई भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उस परिस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन क्लीयर/गाडी आगमन की अनुमति प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेगा कि साधारण एवं सहायक नियम 3.49 (4), 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
9. यदि लाइन क्लीयर देने के पश्चात् पिछले स्टेशन से गाडी जा चुकी है तथा किसी कारणवश गाडी जाने की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ गयी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को लाल झण्डी/लाल हाथ सिगनल बत्ती एवं डिटोनेटर के साथ बुझे हुये सिगनल पर आने वाली गाडी के चालक को सूचना देने के लिये भेजेगा ताकि चालक सर्तक जो जाये तथा गाडी को नियमानुसार पायलट करने की व्यवस्था करेगा।
10. **द्रश्यता परीक्षण लक्ष्य**
  - (क) **अप छोर** : दिन एवं रात में लाइन संख्या-1 के प्रस्थान सिगनल संख्या 6 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।
  - (ख) **डाउन छोर** : दिन एवं रात में लाइन संख्या-1 के प्रस्थान सिगनल संख्या 6 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।
11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण :-** परिशिष्ट ड. देखें।
12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनल मैनों के नाम**  
कोहरे के समय फाग सिगनल मैन के रूप में कार्यकरने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13 परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	'क'	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट	'ख'	सिगनल और अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट	'ग'	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट	'घ'	गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्त्तव्य
परिशिष्ट	'ड.'	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट	'च'	डी के, स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिगों के संचालन नियम
परिशिष्ट	'छ'	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

टिप्पणी - इन नियमों को किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाये।

(रितेश गुप्ता )

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

### परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/अधीक्षक के कर्तव्य
  - (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्ब्यवहार बनाये रखे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -
    - 1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण ।
    - 1.2 आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है ।
    - 1.3 कर्मचारियों को अपने कार्यों से संबंधित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना ।
    - 1.4 कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना ।
    - 1.5 समय-समय पर दिन और रात में सिगनलों, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय, तथा नियम पुस्तकों, डायरियों गाड़ी रजिस्ट्रों एवं अन्य रजिस्ट्रों-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना ।
    - 1.6 यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण ।
    - 1.7 आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव ।
    - 1.8 सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना ।
    - 1.9 यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव मार्ग और ढंग बताना ।
  - (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है ।
  - (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगे ।
  - (घ) मोटर चालित कौंटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक / स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (i) (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा ।

## 2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर ओर गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से संबंधित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -

- 2.1 यार्ड, कौंटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वांछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त हाने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करे। यह भी सुनिश्चित करे कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।
- 2.2 अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकार का देना तथा प्राप्त करना।
- 2.3 ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियंत्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
- 2.4 साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
- 2.5 सभी सिगनल प्रचालनों का नियंत्रण।
- 2.6 शनिटिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 2.7 जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
- 2.8 स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
- 2.9 गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
- 2.10 कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- 2.11 जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
- 2.12 मोटर चालित कौंटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (i) (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा।

## 3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत कौटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शनिटिंग के संबंध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत कौटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये कौटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -



स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/54

हल्द्वानी

(क) गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे -

- 1) सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
- 2) काटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में काटों को सेट एवं पाशित करना
- 3) सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है ।
- 4) दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि के समय फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देकर गाडी के पूरी आने जाने को सुनिश्चित करना ।
- 5) कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाडी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाडियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना ।
- 6) आवश्यकता पडने पर गाडियों का पथ प्रदर्शन करना ।
- 7) कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना ।
- 8) विफलता की स्थिति में उनके प्रभार में काटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना ।
- 9) **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना ।**
- I) सिगनल, काटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के संबंध में ।
- II) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा हाने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है
- 10) स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनों की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना ।
- 11) स्टेशन पर वाहनों संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना ।

**टिप्पणी :**

विफलता की स्थिति में जब काटों, काटोवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, उनका वह पूर्ण प्रभारी होगा। वह काटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, काटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे काटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना ।

4. गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटकवाला के कर्तव्य :-

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये विस्तृत अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट “ ड. ”स्टेशन पर आवश्यक उपकरण -

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेगे -

1-	हाथ सिगनल बत्ती (बैट्री चालित) के०आयल	05 04 Lcg.52/C, 53/B हेतु
2-	हाथ सिगनल झण्डी	05 हरी तथा 08 लाल
3-	पटाखा सिगनल	50
4-	सुरक्षा जंजीरे	05 तालों सहित
5-	क्लैम्प	06 तालों सहित
6-	अग्निशामक यंत्र (डी०सी०पी० टाइप)	02
7-	फायर बकेट	06
8-	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	01
9-	लकड़ी के गुटके	10

(जे०ए०आज़मी)  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)ध्वज्जतनगर

1

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/54

हल्द्वानी

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/54

हल्द्वानी

परिशिष्ट 'च'

डी०के० स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

